

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं

गीठारसीन अधिकारी :-

दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 30/2021

प्रदीप पुत्र धडसीराम जाति जाट निवासी ढाणी राठियां, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।

- वादी

बनाम

1. दयानंद पुत्र धडसीराम जाति जाट निवासी ढाणी राठियां, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
2. तारावती पुत्री धडसीराम जाति जाट निवासी ढाणी राठियां, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
3. नरेश पुत्र धडसीराम जाति जाट निवासी ढाणी राठियां, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
4. सुमन पुत्री धडसीराम जाति जाट निवासी ढाणी राठियां, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
5. प्रेम पुत्री धडसीराम जाति जाट निवासी ढाणी राठियां, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
6. मरवण पत्नि धडसीराम जाति जाट निवासी ढाणी राठियां, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
7. पुजा पुत्री जयचन्द जाति जाट निवासी ढाणी राठियां, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
8. मनीष पुत्र जयचन्द जाति जाट निवासी ढाणी राठियां, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
9. राजबाला पत्नि जयचन्द जाति जाट निवासी ढाणी राठियां, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
10. संदीप पुत्र जयचन्द जाति जाट निवासी ढाणी राठियां, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
11. धर्मपाल पुत्र सावंल जाति जाट निवासी ढाणी राठियां, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
12. हवासिंह पुत्र सावंल जाति जाट निवासी ढाणी राठियां, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
13. शीशराम पुत्र सावंल जाति जाट निवासी ढाणी राठियां, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
14. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा कार्यालय सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
15. राजस्थान ग्रामिण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक राजस्थान ग्रामिण बैंक शाखा कार्यालय सूरजगढ़, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं
16. SBI बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक SBI बैंक शाखा कार्यालय सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
17. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।

- प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

दावा बाबत खाता विभाजन, घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक -15.03.2024

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि-

(क) यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 3.64 है०, खसरा नम्बर 5 रकबा 3.42 है०, खसरा नम्बर 6 रकबा 1.94 है०, खसरा नम्बर 82 रकबा 2.75 है० कुल किता 4 कुल रकबा 11.75 है०, स्थित मौजा ढाणी राठियां, पटवार हल्का लोटिया, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू का वादी को उनके उक्त पैतृक हिस्सा 1/32 का अलग से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के उक्त 1/32 हिस्से की भूमि का अलग राजस्व रिकॉर्ड बनाया जावे तथा पर्चा लगान भी वादी का अलग से कायम किया जावे।

(ख) यह कि उक्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 13 के मध्य कब्जे रिकॉर्ड व रास्ता का प्रावधान रखते हुए बाई मीट्स व बाई बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर वादी के कब्जे शुदा हिस्से 1/32 को वादी का घोषित किया जाकर पर्चा लगान तथा खतौनी वादी के नाम से अलग से कायम की जावे।

(ग) यह कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 13 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे क वो उक्त कृषि भूमि में वादी के 1/32 हिस्से की कब्जेशुदा कृषि भूमि के कब्जा काश्त में दखल पैदा न करें तथा उनके उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा कारित न करें।

(घ) यह कि अन्य सिद्धी जो बहक वादी हो और भूल व गलती से चाही जाने से रह गई हो तो वह भी वादी को धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवाई जावें।

(ङ) यह कि हर्जा खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 7, 9 की और से श्री अमित एड० ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 7, 9 को छोड़ कर शेष के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने प्राथमिक डिक्री किया जाने का निवेदन किया। विभाजन प्रस्ताव शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं० 2074-77, नक्शा ट्रेस एवं विभाजन प्रस्ताव।

इस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वादी वकील व प्रतिवादी ने भूतांत्रिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—: आदेश:—

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 3.84 है०, खसरा नम्बर 5 रकबा 3.42 है०, खसरा नम्बर 6 रकबा 1.94 है०, खसरा नम्बर 82 रकबा 2.75 है० कुल कित्ता 4 कुल रकबा 11.75 है०, स्थित मौजा ढाणी राठियां, पटवार हल्का लौटिया, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज० की भूमि में तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू०अ०/24/42 दिनांक 9.01.2024 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। पर्या डिक्री मूर्तिब हो।

(दयानंद रुयल)

उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)

उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:-30/2021
प्रदीप बनाम दयानंद वगै०
निर्णय दिनांक:- 15.03.2024

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :-

दयानंद रूयल,(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 30/2021

निर्णय दिनांक :- 15.03.2024

प्रदीप बनाम दयानंद वगै०

दावा बाबत खाता विभाजन, घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से सुश्री संजू तंवर एड० की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 15.03.2024 को दयानंद रूयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

“न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 3.64 है०, खसरा नम्बर 5 रकबा 3.42 है०, खसरा नम्बर 6 रकबा 1.94 है०, खसरा नम्बर 82 रकबा 2.75 है० कुल किता 4 कुल रकबा 11.75 है०, स्थित मौजा ढाणी राठियां, पटवार हल्का लोटिया, तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज० की भूमि में तहसीलदार सूरजगढ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू०अ०/24/42 दिनांक 9.01.2024 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री मूर्तिब हो।”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

6
(दयानंद रूयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ